न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प जालोर
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 50/2015

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
1 छोगाराम पुत्र रगाजी जाति रेबारी निवासी कोडका तहसील रानीवाडा जिला जालोर		1 श्रीमति मथरादेवी पत्नी हीराराम जाति रेबारी निवासी कोडका तहसील रानीवाड़ा 2 वीरमा पुत्र प्रेमाजी 3 अमरा पुत्र रगाजी 4 केसी बेवा रगाजी 5 जोईता पुत्र जेठाजी के का0मु0 5.1 राजाराम पुत्र जोईता 5.2 अमरा पुत्र जोईता के का0मु0 धनाराम पुत्र अमरा 6 प्रतापराम पुत्र मोटाजी 7 रामाराम पुत्र मोटाजी 8 समु पत्नी मोटाजी जातिगण रेबारी निवासीगण कोड़का तहसील रानीवाडा 9 भेरा पुत्र प्रेमाजी जाति रेबारी निवासी कोड़का तहसील रानीवाडा 10 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रानीवाड़ा जिला जालोर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
श्री पारसमल बराड़ा, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री निखिल दवे, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
श्री अजरूदीन, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 4 व 5/2

–: निर्णय :–

दिनांकः– 29.6.18

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत असिस्टेन्ट कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)

रानीवाड़ा द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 17/2012 में पारित आदेश दिनांक 14.07.2015 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि मौजा कोडका के खसरा नम्बर 394 में आवागमन हेतु अपीलाण्ट एवं अन्य रेस्पोडेन्ट्स की खातेदारी भूमि में से रास्ता प्रदान कराने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को सुनवाई का समुचित एवं अपना पक्ष प्रस्तुत करने का आवसर ही प्रदान नहीं किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की भूमि में आवागमन का रास्ता पूर्व से ही उपलब्ध था, इसके बावजूद पटवारी हल्का द्वारा गलत रूप से रिपोर्ट तैयार की। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से तामील करवाते हुए उक्त तामील के आधार पर जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जो विधि सम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 251ए के आज्ञापक प्रावधानों की पालना किए बिना ही जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिया जातना आज्ञापक है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध रूप से कार्यवाही करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि सम्मत नहीं है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील आदेश अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद के बिन्दु एवं गुणावगुण दोनों पर ही खारिज योग्य है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी भूमि में आवागमन का अभाव होने के कारण इनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त अपीलाण्ट एवं अन्य रेस्पोडेन्ट्स 2 को जरिये नोटिस तलब किया गया। उक्त नोटिस अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट्स से तामील हुए है, जिसे सम्यक तामील मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अग्रिम कार्यवाही की गई। उक्त तामील के आधार पर अपीलाण्ट के अधिवक्ता अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए एवं प्रकरण में पैरवी की। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलब की है, जिसमें वैकल्पिक मार्ग का अभाव सिद्ध होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है। उक्त आदेश की पालना भी हो चुकी है। अपीलाण्ट जिस भूमि में रास्ता होना बताते है, वहां कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। चूंकि धारा 251ए के तहत संक्षिप्त प्रक्रिया अपनाते हुए कार्यवाही करने के प्रावधान है तथा विधि अनुसार पक्षकारों को सुनवाई का समुचित

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अवसर दिया जाकर ही निर्णय किया जाना न्यायोचित माना है, इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर विधिवत जांच कर जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए जैर अपील आदेश पारित करते हुए रास्ता प्रदान कराने का निर्णय किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। इसके अतिरिक्त अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर होने से स्वाभाविक रूप से खारिज योग्य है। अतः अपील खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में अपीलाण्ट द्वारा अपील को अन्दर मियाद शुमार करवाने हेतु परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र में दर्शित तथ्यों एवं बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को के आधार पर प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण करने हेतु अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बतौर प्रार्थी एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि ग्राम कोडका के खसरा नम्बर 394 रकबा 4.63 हैक्टेयर की भूमि में आवागमन हेतु अपीलाण्ट की सहखातेदारी भूमि खसरा नम्बर 402 रकबा 4.07 हैक्टेयर में से 30 फीट चौडा रास्ता प्रदान कराने का अनुतोष चाहा। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट/अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा तहसीलदार रानीवाड़ा से मौका निरीक्षण प्रतिवेदन तलब करने के आदेश दिये गये। उक्त आदेश की पालना में समस्त अप्रार्थीगण को जो नोटिस जारी किये गये, वे नोटिस स्वयं अपीलाण्ट एवं अन्य रेस्पोडेन्ट्स से तामील करवाए गए है, जो सम्यक तामील की श्रेणी में आने से तामील माने गए। प्रकरण में जो जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है, उनमें आवेदक की खातेदारी भूमि में आवागमन के मार्ग तथा वैकल्पिक मार्ग का अभाव पाया गया तथा रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता सिद्ध हुई है। हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार द्वारा अपनी रिपोर्ट में मौके पर मार्ग उपलब्ध नहीं होना जाहिर किया है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश के जरिये रास्ता प्रदान करने का अनुतोष दिया गया है, जो विधि सम्मत है। इस धारा में "absolute necessary" एवं "absence of alternative means of access is proved" ही वह कसौटी है, जिस पर खरा उतरने पर ही नये रास्ते की कायम के आदेश दिये जाना युक्तियुक्त एवं न्यायसम्मत होंगे। इसका तात्पर्य यह है कि खातेदारी में पहुंचने के लिये कहीं कोई रास्ता उपलब्ध न होना। धारा 251ए सुविधाजनक रास्ते को कायम करने का प्रावधान नहीं करती है। हस्तगत प्रकरण में रास्ते का अभाव एवं

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

वैकल्पिक मार्ग का अभाव सिद्ध हुआ है, जिसे दृष्टिगत रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटी नहीं पाई जाती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है तथा असिस्टेन्ट कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रानीवाड़ा द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 17/2012 में पारित आदेश दिनांक 14.07.2015 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 29.6.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प जालोर

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली